

## रूस-यूक्रेन पर UNGA का प्रस्ताव

### प्रलिस के लिये:

संयुक्त राष्ट्र महासभा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों की प्रकृति।

### मेन्स के लिये:

यूक्रेन-रूस युद्ध, भारत के हितों पर देशों की नीतियों और राजनीति का प्रभाव।

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत ने यूक्रेन पर रूस के आक्रमण की नदि करने के लिये संयुक्त राष्ट्र महासभा (United Nations General Assembly- UNGA) द्वारा कयि गए मतदान में हसिसा नही लयिा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा एक प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिये आपातकालीन वशिष सत्र बुलाया गया, जसिमें रूस से बना शरत अपने सैनिकों को वापस लेने का आह्वान कयिा गया।

- बीते दनिों रूस द्वारा वीटो के प्रयोग के बाद [संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद](#) (UNSC) में यही प्रस्ताव वफिल हो गया था, जसिके बाद महासभा का यह सत्र बुलाया गया था।

### // How much of Ukraine does Russia control?



### "यूनाइटि फॉर पीस" प्रस्ताव:

- परचियः संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव 377 (वी) को शांति प्रस्ताव के लिये एकजुट होने के रूप में जाना जाता है, जिसे वर्ष 1950 में अपनाया गया था। प्रस्ताव का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा खंड A है जिसमें कहा गया है कि जहाँ स्थायी सदस्यों की एकमत की कमी के कारण सुरक्षा परिषद, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के रखरखाव के लिये अपनी प्राथमिक ज़िम्मेदारी का प्रयोग करने में विफल रहता है, महासभा इस मामले को स्वयं अपने अंतर्गत ले लेगी।
- उत्पत्ति: संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अक्टूबर 1950 में कोरियाई युद्ध के दौरान सोवियत वीटो को आगे बढ़ाने के एक साधन के रूप में शांति प्रस्ताव हेतु एकजुट होना शुरू किया गया।
- उद्देश्य: इसके तहत UNGA ने खुद को शांति के लिये खतरों से निपटने की शक्ति प्रदान की, यदि UNSC किसी स्थायी सदस्य द्वारा वीटो के बाद कार्य करने में विफल रहता है।
- आपातकालीन विशेष सत्र (ईएसएस): यदि सत्र नहीं है तो महासभा आपातकालीन विशेष सत्र के तंत्र का उपयोग करके बैठक कर सकती है। अब तक 11 आपात विशेष सत्र बुलाए गए हैं।
  - स्वेज संकट 1956 के दौरान यूएनएससी के प्रस्ताव 119 पर फ्रांस और ब्रिटेन के वीटो के बाद पहले ईएसएस को आयोजित किया गया था।

## प्रमुख बट्टे

- 96 देशों द्वारा सह-प्रयोजित इस प्रस्ताव को पारित होने के लिये उपस्थिति और मतदान करने वालों सदस्य देशों में से दो-तर्हिई मतों की आवश्यकता थी।
- यह यूक्रेन पर रूस द्वारा 24 फरवरी, 2022 के 'विशेष सैन्य अभियान' की नदि करता है।
- इसमें कहा गया है कि बिलपूर्वक हासिल किये गए किसी भी क्षेत्र को मान्यता नहीं दी जाएगी तथा रूस से यूक्रेन में "तुरंत बना किसी शर्त के" सैन्य अभियान को रोकने का आह्वान किया गया है।

## भारत का रुख और चिंताएँ:

- संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टी.एस. त्रिपुरती ने कहा कि भारतीय नागरिकों विशेष रूप से छात्रों के लिये "सुरक्षा और नरिबाध मार्ग (Safe and Uninterrupted passage)" सुनिश्चित करना भारत की "सर्वोच्च प्राथमिकता" है।
  - भारत ने "तत्काल युद्धविराम" तथा संघर्ष वाले क्षेत्रों में मानवीय सहायता प्रदान करने का भी आह्वान किया है।
  - भारत को उम्मीद थी कि रूस और यूक्रेन के बीच दूसरे दौर की बातचीत के सकारात्मक नतीजे निकलेंगे।
- रूस की कार्रवाइयों ने भारत को असहज स्थिति में डाल दिया है क्योंकि यह रूस और पश्चिमी देशों दोनों के साथ अपने हितों को संतुलित करने का प्रयास करता है।
- चीन तथा पाकिस्तान के साथ अपने अनुभवों को देखते हुए भारत एक देश की दूसरे पड़ोसी देश के साथ साझा की जाने वाली सीमाओं को बदलने के एकतरफा प्रयास को लेकर सावधान है।
- भारत का आग्रह है कि सभी सदस्य देश संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों, अंतरराष्ट्रीय कानून के प्रति प्रतिबद्धता और सभी राज्यों की संप्रभुता एवं क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करें।
- उदाहरण के लिये भारत के कई पड़ोसी देशों ने प्रस्ताव का समर्थन किया, जैसे- भूटान, नेपाल और मालदीव। अफगानिस्तान, जो कि वर्तमान में एक आतंकवादी संगठन (तालिबान) द्वारा शासित है और म्यांमार, जो वर्तमान में जुंटा (सेना) द्वारा शासित है, ने भी इसके पक्ष में मतदान किया।
  - भारत की तरह बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका और चीन ने मतदान से परहेज किया।

## क्या संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव बाध्यकारी हैं?

- संकल्प और नरिणय संयुक्त राष्ट्र के अंगों की राय या इच्छा की औपचारिक अभिव्यक्ति हैं।
- संकल्प की प्रकृति निरिधारित करती है कि क्या इसे राज्यों के लिये बाध्यकारी माना जाता है।
- संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 10 और 14 में महासभा के प्रस्तावों को "सफिरशि" कहा गया है।
  - अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) द्वारा महासभा के प्रस्तावों की 'सफिरशि प्रकृति' पर बार-बार ज़ोर दिया गया है।
  - हालाँकि संयुक्त राष्ट्र के आंतरिक मामलों से संबंधित महासभा के कुछ प्रस्ताव- जैसे कि बिजटीय नरिणय या नमिन-श्रेणी के अंगों को नरिदेश, स्पष्ट रूप से बाध्यकारी हैं।
- सामान्य तौर पर सुरक्षा परिषद द्वारा चार्टर के अध्याय VII के तहत कार्य करने वाले प्रस्तावों को चार्टर के अनुच्छेद 25 के अनुसार बाध्यकारी माना जाता है।
  - हालाँकि वे UNSC के स्थायी सदस्यों द्वारा प्रयोग किये जाने वाले वीटो के अधीन हैं।

## आगे की राह

- वैश्विक नेतृत्व के लिये भारत की आकांक्षाओं और "वसुधैव कुटुंबकम" के आदर्श वाक्य को देखते हुए भारत के लिये यूरोप में संघर्ष के साथ और अधिक गहराई से जुड़ना आवश्यक हो सकता है, जो अब एक वैश्विक चर्चा का विषय है।

**स्रोत: द हिंदू**

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/unga-resolution-on-russia-ukraine>

